न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 126 / 2011

नेतादेवी पत्नी देवारमा जाति नायक निवासी भागसर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। —— अपीलांट

बनाम

1. दयाराम पुत्र जोगाराम जाति नायक निवासी भागसर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
2. मीकली पुत्री जोगाराम पत्नी तारूराम जाति नायक निवासी 52 एफ जोरावरपुरा स्टेशन तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर ।
3. आशुराम
4. भंवरलाल
5. रामेश्वरलाल

   पुत्रगण मीरा पुत्री जोगाराम पत्नी अर्जनराम जाति नायक निवासी 9 पीएसडीए तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर
6. गिरधारी पुत्र मीरा पुत्री जोगाराम पत्नी अर्जनराम जाति नायक निवासी 9 पीएसडीए तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
7. निर्मला बाई पुत्री मीरा पुत्री जोगाराम पत्नी अर्जनराम जाति नायक निवासी 9 पीएसडीए तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
8. कमलेश
9. दिवानचन्द

   पिसरान शंकरलाल पुत्र मीरा पुत्री जोगाराम पत्नी अर्जनराम नायक निवासी 9 पीएसडीए तहसील घड़साना।
10. रानी बाई पुत्री शंकरलाल पुत्र मीरा पुत्री जोगा पत्नी अर्जनराम नायक निवासी 9 पीएसडीए तहसील घड़साना।
11. छोटी देवी पत्नी शंकरलाल पुत्र मीरा पुत्री जोगा पत्नी अर्जनराम नायक निवासी 9 पीएसडीए तहसील घड़साना। ———रेस्पोडेन्टान

अपील अर्न्तगत धारा 225 राज. काश्त.अधि 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर दिनांक 11.11.2011

उपस्थितिः—

श्री ओमप्रकाश बतरा , अभिभाषक अपीलांट

श्री भजनलाल टाक , अभिभाषक रेस्पो.

21/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी

श्रीगंगानगर (राज.)

निर्णय दिनांक :– 21.11.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो.सं.1 ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष पेश किया जिसके साथ रा.का. अ. की धारा 212 का प्रा.पत्र पेश कर जोगाराम के परिवार की वंशावली दर्शाते हुए अप्रार्थीया के वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया कि चक 7 बीजीएस के मु.न. 23 की 6.325 है.भूमि में अपने नाम से दर्ज 1.355 है0 आराजी को रहन बैय आदि मुन्तकिल नहीं करे एवं प्रार्थी को बेदखल करने से बाज व ममनू रहें ।

अप्रार्थी सं.1 ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि अप्रार्थी विवादित भूमि की खातेदार है एवं सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें । अप्रार्थी सं0 2 से 10 ने जबाव प्रार्थना मय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया ।

सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनांक 11.11.2011 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पूर्व में पारित अन्तरिम निषेधाज्ञा दिनांक 05.04.2010 को वाद के निर्णय तक स्थाई करने के आदेश दिये। जिसके विरूद्ध यह अपील पेश हुई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो.सं.2 द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान अपीलांट का कर कब्जा सौप दिया था एवं रेस्पो. को अपने हिस्से की भूमि बेचान करने का अधिकार था ऐसी स्थिति में अपीलांट के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती थी । अधी.न्यायालय ने बिना किसी आधार के प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें ।

विद्वान अभिषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी.न्यायालय ने अप्रार्थी को अपने हिस्से से अधिक भूमि को बेचान नहीं करने से पाबन्द किया है

21/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

यदि अपीलांट द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान कर दिया जाता है तो प्रार्थी /वादी के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा । अतः अपील खारिज की जावें ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अधी.न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी व अप्रार्थी आपस में भाई बहिन है एवं भूमि संयुक्त खाते की है विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । यदि वाद के निर्णय से पूर्व किसी पक्षकार द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान कर दिया जाता है तो अनावश्यक रूप से विवाद बढ़ने की आंशका रहेगी । ऐसी स्थिति में अधी.न्यायालय ने विस्तृत रूप से विवेचन करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई विधिक भूल नहीं की हैं अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/11/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर